PBC No. 75 /2026

दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय

Office of the Principal Chief Personnel Officer

प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग, चेन्नै –600003

Headquarters, Personnel Department, Chennai – 600003

No. SR-HQ0HR (WEL)/32/2025. दि Date. 20.05.2026

विषय/Sub: Prevention of Sexual Harassment at Workplace over the Indian Railways – Outcome of Study Visit of Parliamentary Standing Committee on Empowerment of Women - reg.

****

A copy of the Railway Board's letter No. dated regarding the observations and suggestions of the Parliamentary Committee on Empowerment of Women for the implementation of the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act – 2013 is enclosed for information, guidance & necessary action.

संलग्नक Encl: 5 pages

S JAYANTHI Digitally signed by S JAYANTHI Date: 2026.05.20 11:00:10 +05'30'

(एस.जयंती/(S.Jayanthi)

सहायक कार्मिक अधिकारी/कल्याण

Assistant Personnel Officer/Welfare

कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

For Principal Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि Copy to: The General Secretary/SRMU
The General Secretary/DREU
The General Secretary/AISCSTREA
The General Secretary/AIOBCREA
The General Secretary/NFIR
IT Section/PB/HQ – to upload in the SR Website

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

No. 2025/E(LL)/SHW/6 **New Delhi, dated: As signed**

The General Managers,
All Zonal Railways, Production Units,
Metro Railway/Kolkata,
CORE/Prayagraj, RWP/Bela, WPO/Patna,
The Director General, RDSO, Lucknow,
The Director General, NAIR, Vadodara.

Sub: Prevention of Sexual Harassment at Workplace over the Indian Railways – Outcome of Study Visit of Parliamentary Standing Committee on Empowerment of Women

The Parliamentary Committee on Empowerment of Women, during its meeting held in Mumbai on 10.04.2025, reviewed the implementation of the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act (POSH Act) at various units under Ministry of Railways.

Based on the observations and suggestions of the Committee, it has been decided that all Zonal Railways and Production Units shall take immediate and time-bound action on the following:

1. **Constitution and Functioning of Internal Committees (IC) -** Constitution of Internal Committees should re examined and it may be ensured that the ICs are constituted strictly as per the provisions of the POSH Act 2013. The ICs must hold at least two meetings annually, even in the absence of complaints. It is also advised that the ICs of respective units shall conduct interaction meeting with women employees as a confidence-building measure.

2. **Timely Disposal and Accountability -** All complaints must be disposed of within 90 days, as mandated. Adequacy and proportionality of punishment should be ensured to maintain trust in the system.

3. **Audit, Monitoring and Feedback Mechanisms** - External audit (inter divisional audit) may be conducted annually to ensure compliance with POSH Act provisions. Internal surveys and structured interactions with women employees should be carried out to assess possible under-reporting of complaints. Focus should be laid on building confidence among employees, creating a safe and approachable ecosystem to encourage reporting of grievances.

4. **Capacity Building and Training -** Gender sensitisation training exclusively for male employees should be conducted periodically so as to ensure that all male employees

undergo this training within a certain time frame. Workshops and outreach program for female employees should also be conducted regularly regarding POSH Act, SHe Portal, WEI Portal on HRMS. Wide dissemination of these should also be ensured through posters, pamphlets in English, Hindi and also local languages. Training and workshops should invariably include **Handbook on Sexual Harassment of Women at Workplace** and **Booklet issued by the Supreme Court on Combating Gender Stereotypes**. Mechanisms should be developed to assess learning outcomes post training/workshops.

5. **Integration in Training Institutions -** Provisions of the POSH Act must be mandatorily included in all training programs conducted at CTIs, ZRTIs and MDDTIs

A detailed action taken report on the above points should be submitted to Railway Board every quarter. A format for the same will be circulated shortly.

VINITA VERMA
Digitally signed by VINITA VERMA
Date: 2026.04.30 17:26:21 +05'30'

(Vinita Verma)
Executive Director Estt. (LL)
Railway Board
Tele No.23047173

Copy to :-For necessary action

1) CMDs/MDs/Equivalent: IRCON, RITES, RVNL, DFCCIL, CONCOR, CRIS, IRCTC, IRFC, KRCL, KMRCL, MRVC, RCIL, Burn Standard, Braithwaite, NHSRCL, RLDA.

2) Directors of All CTIs (IRICEN, IRIEEN, IRIMEE, IRISET, IRITM, IRIFM, JR RPF Academy) and Joint Secretary Railway Board.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2025/ई(एल.एल.)/एस.एच.डब्ल्यू./6 **नई दिल्ली, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें, उत्पादन इकाइयाँ,
मेट्रो रेलवे/कोलकाता,
कोर/प्रयागराज, आरडब्ल्यूपी/बेला, डब्ल्यूपीओ/पटना,
महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ।
महानिदेशक, एनएआईआर, वडोदरा।

विषय : भारतीय रेल में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम – महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे का परिणाम।

महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 10.04.2025 को मुंबई में आयोजित अपनी बैठक के दौरान रेल मंत्रालय के अधीन विभिन्न इकाइयों में कार्यस्थल पर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

समिति के अवलोकनों और सुझावों के आधार पर, यह विनिश्चय किया गया है कि सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में तत्काल और समयबद्ध कार्रवाई की जाए:

1. **आंतरिक समितियों का गठन और कार्यप्रणाली** - आंतरिक समितियों के गठन की पुन: जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आंतरिक समितियों का गठन महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार ही किया गया है। आंतरिक समितियां किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त न होने पर भी वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठकें आयोजित करें। यह भी सलाह दी जाती है कि संबंधित इकाइयों की आंतरिक समितियां विश्वास निर्माण उपाय के रूप में महिला कर्मचारियों के साथ बातचीत बैठक आयोजित करें।

2. **समय पर निपटान और जवाबदेही** – सभी प्रकार की शिकायतों का निपटान 90 दिन में किया जाना अनिवार्य है। व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए दंड की उपयुक्तता और समानता सुनिश्चित की जाए।

3. **ऑडिट, निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र** – महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

वार्षिक रूप से बाह्य ऑडिट (अंतर-मंडलीय ऑडिट) किया जाए। आंतरिक सर्वेक्षण और महिला कर्मचारियों के साथ सुव्यवस्थित संवाद किया जाए ताकि शिकायतों की कम रिपोर्टिंग की संभावना का आकलन किया जा सके। कर्मचारियों में विश्वास पैदा करने, सुरक्षित और सुलभ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि शिकायतों की रिपोर्ट करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

4. **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण** – लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से पुरुष कर्मचारियों के लिए आवधिक रूप से आयोजित किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पुरुष कर्मचारियों ने एक निश्चित समय सीमा में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। महिला कर्मचारियों का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के संबंध में एचआरएमएस में एसएचई पोर्टल, डब्ल्यूईआई पोर्टल पर कार्यशालाएं और आउटरीच कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में पोस्टरों, पैम्फलेट के माध्यम से भी इनका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। **कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर पुस्तिका** और **लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी पुस्तिका** को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के बाद अधिगम के परिणामों के आकलन के लिए तंत्र को विकसित किया जाए।

5. **प्रशिक्षण संस्थानों में एकीकरण** – महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के उपबंधों को केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों और बहु-विषयक मंडल प्रशिक्षण संस्थानों में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

रेलवे बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में उपरोक्त बिंदुओं पर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसका एक फार्मेट शीघ्र ही परिपत्रित किया जाएगा।

VINITA VERMA
Digitally signed by VINITA VERMA
Date: 2026.04.30 17:54:14 +05'30'

(विनीता वर्मा)
कार्यपालक निदेशक, स्थापना (श्रम कानून)
रेलवे बोर्ड
टेलीफोन नंबर 23047173

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/समकक्ष: इरकॉन, राइट्स, आरवीएनएल, डीएफसीसीआईएल, कॉनकोर, क्रिस, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, केआरसीएल, केएमआरसीएल, एमआरवीसी, आरसीआईएल, बर्न स्टैंडर्ड, ब्रेथवेट, एनएचएसआरसीएल, आरएलडीए।

2. निदेशक, सभी केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान (इरिसेन, इरीन, इरिमी, इरिसेट, इरिटेम, इरिफेम, जगजीवन राम रेल सुरक्षा बल अकादमी) और संयुक्त सचिव रेलवे बोर्ड

कमरा नं. 502, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली -1 10001